प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं. 25/2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न सेवाओं की निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का स्वचालन।

नई दिल्ली, 17 अप्रैल 2025 – इससे पहले, ट्राई ने 02 अगस्त 2024 को "एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024 (2024 का 06)" नामक संशोधित विनियम जारी किए थे। ये विनियम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो गए हैं और वायरलाइन के साथ-साथ वायरलेस मीडिया पर प्रदान की जाने वाली एक्सेस और ब्रॉडबैंड सेवाओं दोनों के लिए लागू हैं।

2. विनियमों में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक सेवा प्रदाता प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रण, उसके संग्रहण, प्रसंस्करण, निष्पादन रिपोर्ट तैयार करने तथा प्राधिकरण को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए इन विनियमों की अधिसूचना के छह महीने के भीतर अपनी प्रणाली का निर्माण या उन्नयन करेगा।

3. तदनुसार, प्राधिकरण ने दिनांक 19.09.2024 और 03.01.2025 के निर्देश के तहत सेवा प्रदाताओं को निर्धारित प्रारूप में रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति से पंद्रह (15) दिनों की अवधि के भीतर एक्सेस सेवा (वायरलेस), एक्सेस सेवा (वायरलाइन) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन) सेवा जैसी विभिन्न सेवाओं की प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

4. सेवा प्रदाताओं के लिए प्रक्रियाओं के स्वचालन और व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, प्राधिकरण ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा गुणवत्ता प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए डिजिटल और कागज रहित प्रक्रिया लागू की है। एक्सेस सेवा (वायरलेस) के लिए पीएमआर डेटा प्रस्तुतीकरण को डेटा के बड़े आकार को देखते हुए एप्लिकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से स्वचालित किया गया है, जबकि एक्सेस सेवा (वायरलाइन) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन) सेवा के लिए पीएमआर पीएमआर पोर्टल पर उपलब्ध उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, मार्च 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए पीएमआर सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं।

5. पीएमआर प्रस्तुत करने का स्वचालन रिपोर्टों में मानवीय त्रुटियों को कम करने, प्रक्रिया को सरल बनाने और सेवा प्रदाताओं द्वारा अपेक्षित प्रयास को न्यूनतम करने में मदद करता है।

6. किसी भी स्पष्टीकरण /जानकारी के लिए श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (क्यूओएस-I) ट्राई से ईमेल: **adv-qos1@trai.gov.in** या टेलीफोन नंबर **+91-11-20907759** पर संपर्क किया जा सकता है ।

अतुल चौधरी
17/4/25

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव